न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2019 (राजसमन्द आर्डर)

1. नाथु पिता बालु, जाति कालबेलिया, निवासी रावों का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. बाबुलाल पिता नाथु, जाति कालबेलिया, निवासी रावों का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. लक्खु पिता बालु, जाति कालबेलिया, निवासी रावों का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता पोखर, जाति कालबेलिया, निवासी रावों का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा॰ काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द दिनांक 07–01–2019 प्रकरण संख्या 1032/2018

———::———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री एस. एल. लढ्ढ़ा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3– श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक 21–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा में आराजी नंबर 270, 271, 285 कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके पास ही प्रार्थी की औद्योगिक रूपान्तरित आराजी नंबर 284 रकबा 12 बिस्वा भूमि है। उक्त आराजियात का प्रार्थी एक मात्र खातेदार एवं कब्जेदार है, जिससे विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध नहीं होते हुए भी नाजायज गिरोह बनाकर प्रार्थी की आराजियात पर कब्जा करने पर उतारू हैं तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 27/2017 प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 16–01–2018 से खारिज कर दी गयी। न्यायालय हाजा के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 12–03–2018 को खारिज कर दी गयी।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–07–2018 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को पजेशन दिये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश की अपील माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04–09–2018 को यह आदेशित किया कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 3 माह में निर्णय पारित किया जावे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज कर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 07–01–2019 से रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार मूलवाद के निस्तारण तक उसे पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे होकर रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षीगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–01–2019 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. एल. लढ्ढ़ा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की नहीं है, बल्कि अपीलान्ट के हक अधिकार, कब्जे व स्वामित्व की है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता पोखर ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को प्रदान कर दी थी और पिछले [illegible] से अपीलान्ट काबिज है। अपीलान्ट अनपढ़ होने से भूमि उसके [illegible] दर्ज नहीं [illegible] जबकि कब्जा अपीलान्ट का सन् 1971

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested

से चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदीप वाद एवं प्रदीप अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी कब्जेधारी को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में बेदखल करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। वादी ने कब्जे के तथ्यों को छुपाकर वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कब्जे के अभाव में चलने योग्य नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रदीप प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष मूलवाद के निस्तारण तक अपीलान्ट को प्रदान किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करने हुए यह माना है कि प्रार्थी एकमात्र खातेदार एवं कब्जेधारी व्यक्ति है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर हक अधिकार किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है एवं न ही अप्रार्थीगण ने कब्जे बाबत् कोई प्रमाण पेश किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार एवं कब्जेधारी के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07–01–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:35 IST
Reason: SelfAttested